

2317/19

पत्रावली पेश हुई। वकील कपीलांत इपानिगत।
तहसीलदार, वाडपेर इपानिगत। तहसीलदार, वाडपेर
हया वॉलेंट मॉका रिपोर्ट पेश हुई, जिम्मी प्रति
वकील कपीलांत को दी गई। मामले में
इस पक्ष की बरत सुनी गई।

हाजेरत कपीलांत ने बताया कि
मूल कपीलांत तारकवर के पुराने का देहांत
हो चुका है, इसलिए उनके नाम पर मुफ्त को
रिपोर्ट पर लेने का क्वेट स्वीकार होकर
इतनी एक मात्र पुत्री शारदावर पत्नी खुशगामिंद
कपीलांत के सप में संशोचित हो चुकी है।
तदनुसार संशोचित शीर्षक की रिपोर्ट पर



Handwritten signature and date: 23/7/19

Handwritten signature



Faint handwritten text at the bottom left.

P.T.O

लिया जा चुका है। इमीलाट की मात्रा का वादग्रस्त
 द्वारा ही यह कल्पना काश्त उनके बीच काल में
 था तथा इसकी प्रत्यक्ष पर्याप्त पुत्री इमीलाट
 का है। यह तथा तदुपलब्ध वादग्रस्त द्वारा
 प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से साबित है। इमीलाट
 वादग्रस्त भूमि पर शक्यता का है एवं साबित है।
 किता इमीलाट न्यायालय का इतिहास इमीलाट का
 उनके इमीलाट न्यायालय में वाद निस्तारण तक
 इसे वादग्रस्त भूमि से वेडवेल नदी किनारे जाने
 की कल्पना विषयवादा अती की जाने।

सर्वकारी अभिलेख का काल है कि वादग्रस्त
 भूमि सिवाय एक इमीलाट भूमि है जो इमीलाट
 मध्य इतिहासी की इमीलाट से साबित है जो
 वेडवेली के लिए जारी है। इमीलाट न्यायालय
 में किता कोई इतिहास पैग नही है का है जो
 उनके वाद के पक्ष में है। इमीलाट इमीलाट
 खारिज करार है जाने।

तदुपलब्ध, वादग्रस्त द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट
 का वेडवेली का किता। मुताबिक रिपोर्ट ख. नं. 1836
 रकबा 12.10 बीघा में से 5.00 बीघा जे. कु. गौचर
 दर्ज है जो कि शेष रकबा 7.10 बीघा है जो
 शपथाना न्यायालय वादग्रस्त रिपोर्ट में दर्ज है एवं
 7.10 बीघा में है इमीलाट बीघा (10 बिघा) भूमि
 पर 2 पक्के कमरे, एक टैंक बना हुआ है जो
 इमीलाट न्यायालय पत्नी पुरामेह का होगा बनाया गया है
 शेष भूमि खाली पड़ी है।

इसके सिवाय है कि इमीलाट की दवाइय
 भूमि में से 5 बीघा भूमि खाली भी जो जे. कु. गौचर दर्ज
 है चुकी। शेष 7.10 बीघा भूमि में इमीलाट का
 एक टैंक बनाया है टैंक बना गया है। इमीलाट
 न्यायालय में वाद निस्तारण है उनके निस्तारण पर ही
 इमीलाट के एक-एक कर लगे होंगे तक तक मापना
 प्रमाणित है एवं प्रमाणित सिंगुलर उनके पक्ष में उतरी गयी है।
 यदि इसे वेडवेली किता जाता है तो इसका इमीलाट की
 की भी सिंगुलर है। अतः इमीलाट इमीलाट स्वीकार की
 जाया उसे वादग्रस्त भूमि ग्राम श्रीहरा के किता नं. 2478
 रकबा 7-10 बीघा में से इसके इमीलाट न्यायालय में वाद
 के निस्तारण तक वेडवेली नदी किनारे जाने की कल्पना विषयवादा
 की रिपोर्टों में 1 तदुपलब्ध वादग्रस्त को पारक निरा गया है।



पत्राक्षी न्यायालय शुभारंभ हेतु न्यायालय में कक्षा, इतिहास इतिहास है।
 राजदेव अपील अधिकारी
 बाइमेर